

फद अहकाम

(नियम 13)

(General Rules (Civil) Rule 103, Appendix 'B' Form No.91)

अज अदालत तहसीलदार, सिणधरी

SCMS
2020/00037
21-10-2020

राजस्थान सरकार जरिये पटवारी

बनाम

मुकनाराम वल्लभ फराराम काम
जाट का० नेहरो की दागी

नेहरो की दागी

किस्म मुकदमा - राज. भू. राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91
सन्

मु.न. 34/2020

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
12-10-2020	<p>पटवारी हल्का <u>नेहरो की दागी</u> ने रिपोर्ट पेश कर सूचित किया कि उक्त अप्रार्थी ने संवत् 2020 में मौजा <u>नेहरो की दागी</u> के खसरा संख्या 205 रकबा <u>0.0640 ई.</u> किस्म भूमि <u>इ.भू. शास्ता</u> पर नाजायज अतिक्रमण कर कब्जा किया है। अतः राजस्थान राजस्व भू अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत मामला दर्ज रजिस्टर किया जाकर गैर सायल को जरिये नोटिस तलब किया जावे। पत्रावली दिनांक <u>22-10-2020</u> को बमुकाम सिणधरी पेश हो।</p> <p style="text-align: right;">तहसीलदार सिणधरी जिला-बाड़मेर</p>	
22-10-2020	<p>पत्रावली आ० पेश हुई। गैर सायल उपस्थित। गैर सायल के एक प्रवतट डिवा जाकर पत्रावली दिनांक 23-10-2020 को पेश है।</p> <p style="text-align: right;">तहसीलदार सिणधरी जिला-बाड़मेर</p>	<p style="text-align: center;">मुकनाराम</p>

28-10-2020

पत्रावली आण पेश हुई। गैर साफल अनुपाष्टि ।
गैर साफल को अलेखनी मानते हुए उनके विरुद्ध
एक तरफा कार्यवाही आगल के आर्डर पत्रावली
फैसल सुगार है। निर्णय अलग से लिखा जाकर
शामिल पत्रावली है। ~~अ~~ निर्णय शुल्क
व्यापार के चुनाव अफ। पत्रावली फैसल
सुगार होकर दायित्व दाफतर है।

तहसीलदार सिणधरी
जिला-वाङनेर